04/12/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी।
पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु
पेश की गई। वकीलान फरीकेन उपस्थित
है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया
गया तथा वकीलान की बहस पर मनन
किया गया। वादी का वाद-पत्र डिक्री
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखा जाकर शा० मि० किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥
(R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना न० :– 27 / 2025
दायर दिनांक :– 30.01.2025
निर्णय दिनांक :– 04.12.2025

उनवान

1. राजकुमार पुत्र धर्मचन्द जाति अहीर निवासी बहरोड तरफ बलराम तह0 बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)। ……… वादी

बनाम

1. नगर विकास न्याय भिवाडी तहसील खैरथल तिजारा राज० –जरिये सचिव
2. कृष्ण पुत्र देवकीनन्द पौत्र चेतराम जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
3. अभयसिंह पुत्र देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
4. सुनिल पुत्र देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
5. मुन्नी पुत्री देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
6. ममता पुत्री देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
7. शर्मिला पुत्री देवकीनन्दन जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
8. सत्यवीर पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड बहरोड़।
9. विधा देवी पत्नी धनपत जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड बहरोड़।
10. मुकेश पुत्र धनपत जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड बहरोड़।
11. किरोस्ता देवी पत्नी पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
12. सुधीर पुत्र धनपत जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास बहरोड़।
13. राजपाल पुत्र धनपत जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास बहरोड़।
14. सरोज देवी पत्नी लीलाराम जाति अहीर निवासी मेधोत हाला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि0
15. शर्मिला पत्नी सत्यपाल जाति अहीर निवासी मेघात हाला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।
16. सन्तरा पत्नी जयसिंह जाति अहीर निवासी कृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।
17. रामस्वरूप पुत्र जुगनाराम जाति अहीर निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

18. लालाराम पुत्र हीरालाल जाति अहीर,निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड़ बहरोड़ तहसील बहरोड़।

19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड़।

20. उप पंजीयक महोदय बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़। ..... प्रतिवादीगण

दावा–दस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 482 रकबा 63 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ में स्थित है। वाद पत्र के आगामी सभी पदो में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी 2 लगायत 19 के कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्छी सम्वत 2072–2075 के वादी 16/63 भाग व मृतक देवकीनन्द पुत्र चेतराम 5/63 भाग का तथा बसन्ती पुत्री चेतराम 1/3 भाग की व सत्यवीर पुत्र हीरालाल 1/12 भाग व विधा पत्नी धनपत मुकेष पुत्र धनपत 1/12 भाग व किरोस्ता देवी पत्नी पप्पू 158/6300 भाग व राजपाल पुत्र धनपत 209/6300 भाग व सरोज पत्नी लीलाराम,शर्मिला पत्नी सत्यपाल सम्भाग 158/6300 भाग व सन्तरा पत्नी श्री जयसिंह 184/6300 भाग व रामस्वरूप पुत्र जुगनाराम 252/6300 भाग व लालाराम पुत्र हीरालाल 89/6300 भाग के खातेदार है तथा देवकीनन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 2 लगायत 7 है तथा बसन्ती पुत्री चेतराम ने अपने 1/3 भाग की वसियत देवकीनन्द पुत्र चेतराम व लालाराम पुत्र हीरालाल के ह कमे सम्भाग के रूप में करदी जिसका इन्तकाल स.829 दिनांक 15.2.2015 को दर्ज स्वीकृत किया गया जो दस्तावेज संलग्न है। विवादित आरजाी का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 19 ने मौके पर बटवारा कर रखा है तथा वादी ने अपने 16 ऐयर रकबा पर पशुओ की सुरक्षा के लिए चार दिवारी का निर्माण किया हुआ है। तथा वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 19 अपने–अपने हिस्से पर बिना किसी बाधा के काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर काबिज है। विवादित आराजी में कुछ रकबा अनाज मण्डी बहरोड में अवाप्त हो गया जो अनाज मण्डी में रकबा अवाप्त हुआ जो वादी के हिस्से में से 8 ऐयर रकबा गया। जो वादी 08 ऐयर रकबा मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्व विभाग द्वारा हाल रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी विधि विरूध रूप से दर्ज करदी जो खिलाफ मझैका खिलाफ कब्जा खिलाफ रिकार्ड है। जिसको दुरूस्ती किया जाकर मुताबिक कब्जा व रिकार्ड के वादी को 16/63 भाग का खातेदार दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

किया जावे तथा मुताबिक कब्जा के तितत्बा काटा जावे। तथा वादी का वाद पत्र डिक्री इस्तकरारहक बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की सादीर अता फरमायी जावे की आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 63 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड जिसमें प्रतिवादी स. 1 का नाम मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व कब्जा के कलमजन किया जाकर वादी को मुताबिक कब्जा व राजस्व रिकार्ड के 16/63 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे है तथा उक्त आराजी का खातेदारो के मध्य अर्सा दराज से बाहमी बटवारा हो रहा है। जिससे वादी के 16 ऐयर रकबा में से अनाज मण्डी बहरोड में 08 ऐयर रकबा अवाप्त हुआ है। लेकिन उक्त जमीन वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 19 की साझे की होने से प्रतिवादी सं. 02 लगायत 19 का मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा है जो प्रतिवादी सं. 02 लगायत 19 मुआवजा प्राप्त नही करे तथा प्राप्त करने की सूरत में वादी की न्यायालय श्रीमान के समक्ष अदा करे तथा मुआवजा प्राप्त करने व अदा नही करने की सुरत में जो रकबा आवाप्त हुआ। जो वादी के हिस्से में से हुआ है जो वादी का हिस्सा कम जितना हुआ उतनी जमीन वादी को प्रतिवादी स. 2 लगायत 19 से दिलवायी जाने की घोषणा की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 वावजूद सूचना के अनुपस्थित है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 18 द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2072 प्रदर्श–1 सहमति पत्र प्रदर्श–2, नकल पत्र कार्यालय भिवाडी प्रदर्श–3, नकल पत्र भूमि आवाप्ती प्रदर्श–4,5, नकल कार्यालय सक्ष प्रधिकारी (भूमि आवाप्ति) प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 प्रदर्श–7, नोटिस 80 सी.पी.सी प्रदर्श–8, आदि दस्तावेज एवं राजकुमार पुत्र धर्मचन्द जाति अहीर स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बसह सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी संवत 2072 में आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.63 वादी राजकुमार पुत्र धर्मचन्द हिस्स 16/63 के खातेदार दर्ज है,जो प्रदर्श–1 से स्पष्ट है। जमाबन्दी संवत 2076–2079 में आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.63 है0 के खातेदार नगर विकास न्याय भिवाडी हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी उपज मण्डी समिति बहरोड के विस्तार हेतु जमीन आवाप्त की गई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 63 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड जिसमें प्रतिवादी स. 1 का नाम मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व कब्जा के कलमजन किया जाकर वादी को मुताबिक कब्जा व राजस्व रिकार्ड के 16/63 भाग का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

घोषित करवाये जाने बाबत निवेदने किया है। प्रतिवादी संख्या 01 के नगर विकास न्याय भिवाडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/2023–2024/5169/24 दिनांक 19.12.2024 से आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 0.63 है0 में से 0.32 है0 आवाप्ति की कार्यवाही की गई भूमि का मुवावजा नियमानुसार दिया जाना सुनिश्चि करे बाबत पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र से भी प्रतिवावादी संख्या 01 का उक्त आराजी पर कोई सरोकार होना जाहीर नही होता है। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये जिससे उनके उक्त वाद पत्र में कोई रूचि होना प्रकृट नही करता है। जिस सूरत में वादी का वाद पत्र पूर्णतया स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 63 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड में प्रतिवादी स. 1 नगर विकास न्याय भिवाडी के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 रकबा 0.63 हैक्टैयर में से वादी को 16/63 हिस्से का खातोदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी को उक्त अवाप्त भूमि रकबे का नियमानुसार मुआवजा दिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 04.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना ॥)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥
(R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना न० :– 27 / 2025
दायर दिनांक :– 30.01.2025
निर्णय दिनांक :– 04.12.2025

उनवान

1. राजकुमार पुत्र धर्मचन्द जाति अहीर निवासी बहरोड तरफ बलराम तह0 बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)। .... वादी

बनाम

1. नगर विकास न्याय भिवाडी तहसील खैरथल तिजारा राज० –जरिये सचिव
2. कृष्ण पुत्र देवकीनन्द पौत्र चेतराम जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
3. अभयसिंह पुत्र देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
4. सुनिल पुत्र देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
5. मुन्नी पुत्री देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
6. ममता पुत्री देवकीनन्द जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
7. शर्मिला पुत्री देवकीनन्दन जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास इन्द्रा कॉलोनी बहरोड़ तहसील बहरोड तहसील बहरोड़।
8. सत्यवीर पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड बहरोड़।
9. विधा देवी पत्नी धनपत जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड बहरोड़।
10. मुकेश पुत्र धनपत जाति अहीर, निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड बहरोड़।
11. किरोस्ता देवी पत्नी पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
12. सुधीर पुत्र धनपत जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास बहरोड़।
13. राजपाल पुत्र धनपत जाति अहीर निवासी अनाज मण्डी के पास बहरोड़।
14. सरोज देवी पत्नी लीलाराम जाति अहीर निवासी मेधोत हाला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगझ हरि0
15. शर्मिला पत्नी सत्यपाल जाति अहीर निवासी मेघात हाला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।
16. सन्तरा पत्नी जयसिंह जाति अहीर निवासी कृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।
17. रामस्वरूप पुत्र जुगनाराम जाति अहीर निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

18. लालाराम पुत्र हीरालाल जाति अहीर,निवासी अनाज मण्डी के पास अलवर रोड़ बहरोड़ तहसील बहरोड़।

19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड़।

20. उप पंजीयक महोदय बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़। ..... प्रतिवादीगण

दावा–दस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय पर्चा : –

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 63 ऐयर वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड में प्रतिवादी स. 1 नगर विकास न्याय भिवाडी के नाम दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 रकबा 0.63 हैक्टैयर में से वादी को 16 / 63 हिस्सा का खातोदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी को उक्त अवाप्त भूमि रकबे का नियमानुसार मुआवजा दिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 04.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्तारक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गइ।

(रामकिशोर मीना ।।)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)